संख्या-1/2015/आर0जी0-793/दस-106(08)/15

प्रेषक,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2015**

विषय : कर-करेत्तर राजस्व प्रप्तियों की समीक्षा एवं समग्र उपलब्धि की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मुख्य सचिव के निर्देश ।

महोदय,

मुख्य सविच के आदेश संख्या-आर0जी0-471/106(08)/15-दस-2015, दिनांक 22 जून, 2015 द्वारा कर-करेत्तर राजस्व विभागों की check-list जारी करते हुए प्रत्येक माह राजस्व वसूली की समीक्षा तथा आदेश संख्या-आर0जी0-602/106(08)/15-दस-2015, दिनांक 23 जुलाई, 2015 द्वारा प्रत्येक माह पॉच मुख्य कर-राजस्व प्राप्तियों की समग्र उपलब्धि एवं करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत अलौह खनन की प्राप्तियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर वित्त विभाग को उपलबध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

2- अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि - पत्र दिनांक 22-06-2015
एवं पत्र दिनांक 23-07-2015

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
वित्त आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, वित्त।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2015/आर0जी-/793(1)/दस-15106(08)/15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर।

2- प्रमुख सचिव, आबकारी।

3- प्रमुख सचिव, स्टाम्प तथा निबन्धन।

4- प्रमुख सचिव, परिवहन।

5- प्रमुख सचिव, मनोरंजन-कर।

6- प्रमुख सचिव, अलौह खनन, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल),
सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांकःआर0जी0–५१/ /106(08)/15–दस–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी(नाम से)
जनपद .....,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग लखनऊः दिनांकः २२ जून, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों वाले विभागों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व विभागों द्वारा जनपदवार/मण्डलवार/माहवार लक्ष्यों की फॉट आपको प्रेषित भी की जा चुकी हैं ।

कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में यहॉ यह अवगत कराया जाना है कि प्रत्येक माह मेरे स्तर से गहन समीक्षा की जा रही है, जिससें राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो । इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सम्बन्धित विभागों की check-list के अनुसार प्रत्येक माह राजस्व वसूली की स्थिति की मदवार समीक्षा अपने स्तर से करने का कष्ट करें। भविष्य में जिलाधिकारियों की कर संग्रहण सम्बन्धी उपलब्धियॉ ग्रेडिंग के आधार पर निर्धारित की जायेंगी तथा इन्हें संकलित कर प्रत्येक माह मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित किया जायेगा । जनपद के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली से आपको अलग से अवगत कराया जायेगा ।

कृपया कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक दशा में माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

17/6

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभागों की check-list से सम्बन्धित विभागवार/बिन्दुवार सूचना

कर एवं करेत्तर राजस्व के वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर check-list के माध्यम से समीक्षा विभागवार जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी, जो निम्नवत है:-

वाणिज्य कर:-

(i) वाणिज्य-कर विभाग के निर्धारित मासिक तथा क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) विभाग द्वारा प्राप्तियों में वृद्धि हेतु किये गये प्रयास।

(iii) अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने सम्बन्धित की गयी कार्यवाही और प्रत्येक माह में हुई वृद्धि ।

(iv) ईट भट्ठा समाधान योजना की प्रगति की समीक्षा।

(v) राजस्व विभाग द्वारा वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बकाया वसूली किये जाने की स्थिति में डिमाण्ड रजिस्टर एवं जारी वसूली प्रमाण-पत्रों का मिलान कर वसूली की समीक्षा।

(vi) बड़े बकायेदारों/सरकारी अर्द्धसरकारी/निगमों पर बकाया राशि की वसूली की समीक्षा ।

(vii) प्रवर्तन शाखा के दोनों अंग अर्थात् विशेष अनुसंधान शाखा एवं सचल दल द्वारा राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों/कार्यों की समीक्षा ।

(viii) जॉच से सम्बन्धित व्यापारी/प्रतिष्ठान तथा जॉच स्थल की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस प्रशासन के अपेक्षित सहयोग एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग-दर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाना।

(ix) करापंवचन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाना ।

(x) विभाग द्वारा दर्ज कराये जाने वाले एफ0आई0आर0 पर त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं उनकी समीक्षा ।

आबकारी विभाग :-

(i) निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष मासिक तथा क्रमिक प्राप्ति की समीक्षा । प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय ।

(ii) आर0सी0 की कुल संख्या तथा आर0सी0 में निहित कुल धनराशि तथा बकाया वसूली के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) आबकारी विभाग द्वारा मारे गये छापों की संख्या, पकड़े गये अभियुक्तों तथा जब्त किये गये वाहनों की संख्या की समीक्षा । क्या मात्र वाहन चालकों के विरूद्ध FIR दर्ज कराई जा रही है या यह अवैध बिक्री कराने वाले व्यापारियों/मौलिक के विरूद्ध भी।

(iv) पकड़ी गयी/जब्त/नष्ट की गयी शराब की मात्रा (बल्क लीटर में) ।

(v) अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री को रोकने सम्बन्धी उठाये गये प्रभावी कदम एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा।

(vi) करापवंचन को रोकने तथा विभाग द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्य की सघन समीक्षा।

स्टाम्प तथा निबन्धन विभाग :-

(i) उप निबन्धक कार्यालयवार मासिक, क्रमिक एवं वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की समीक्षा। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते है, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) प्रस्तुत बैनामा तथा सदृश एवं अन्य लेखपत्रों में वृद्धि/कमी की समीक्षा।

(iii) जनपद में मासिक एवं क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष सबसे कम आय वाले उप निबन्धक कार्यालय की गहन समीक्षा।

(iv) न्यायालयवार स्टाम्पवादों के योजित होने, निस्तारण एवं अवशेष वादों की स्थिति, रू0 25 लाख से अधिक मूल्य के स्टाम्पवादों के निस्तारण की प्रगति तथा स्टाम्प देयों से सम्बन्धित बकायों की वसूली की समीक्षा।

(v) बोर्ड आफ रेवेन्यू के पोर्टल पर स्टाम्प देयों से सम्बन्धित बकाया वसूली के अद्यतनीकरण की समीक्षा।

(vi) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में तैनात विभाग के अधिकारीवार किये गये कार्यों की समीक्षा।

(vii) करापवंचन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाना ।

परिवहन विभाग :-

(i) लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियों की मासिक व क्रमिक प्राप्तियों अनुश्रवण की स्थिति तथा गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्तियों की मासिक व क्रमिक प्राप्तियों की स्थिति की समीक्षा । प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) राजस्व प्राप्ति के मदवार आकँड़े, बकाया वसूली वार्षिक मॉग रजिस्टर तथा उसके आधार पर करवार राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा।

(iii) वर्तमान देय तथा अवशेष की स्थिति तथा कितने मामलों में आर0सी0 जारी की गई की समीक्षा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) अवैध संचालन की रोकथाम/यात्री वाहनों भार वाहनों की ओवर लोडिग की क्रत कार्यवाही की समीक्षा।

(v) सड़क परिवहन समन्वय समिति के अन्तर्गत निरूद्व वाहनों को परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा छोड़ जाने के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की स्थिति ।

(vi) यात्री-कर अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा।

(vii) अवैध संचालन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की समीक्षा।

(viii) ओवर लोड वाहनों की चेकिंग हेतु की जा रही कार्यवाही, उनके चालान/बन्द करने की कार्यवाही तथा प्रशमन शुल्क की स्थिति ।

(ix) करापवंचन को रोकने तथा विभाग द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्य की समीक्षा।

मनोरंजन कर विभाग :-

(i) वार्षिक/मासिक लक्ष्य तथा वर्तमान माह में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्ति एवं अवशेष मामलों में कृत कार्यवाही की समीक्षा । प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) सिनेमा के पर्दे पर एवं केबिल टी0वी0 नेटवर्क से प्रदर्शित विज्ञापनों पर शासन की अधिसूचना के अन्तर्गत विज्ञापन कर एवं लाइसेंस फीस की वसूली की स्थिति की समीक्षा।

(iii) करापवंचन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाना।

पर्यटन विभाग :-

(i) वार्षिक/क्रमिक लक्ष्य तथा वर्तमान माह में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत की स्थिति की समीक्षा। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयास की समीक्षा।

(iii) होटलों का असेसमेन्ट के सम्बन्ध में किये गये कार्यो की समीक्षा।

(iv) विभाग द्वारा करापवंचन को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाना ।

भू-तत्व एवं खनिकर्म:-

(i) विभाग के निर्धारित मासिक तथा क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की समीक्षा। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) शासनादेश के क्रम में गठित जनपद स्तर पर प्रवर्तन दल द्वारा की गई कार्यवाही तथा प्रवर्तन दल द्वारा खनन क्षेत्रों एवं खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की जॉच की स्थिति ।

(iii) खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में सीमा स्तम्भ लगवाने एवं उसे ठीक स्थिति में बनाये रखने, खनन क्षेत्रों की जॉच के समय यह अवधारित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जा सके कि पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं कर रहा है, की गहन समीक्षा करना ।

(iv) कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यो में काफी मात्रा में उपखनिजों का प्रयोग करते है। कार्यदायी संस्थायें सुनिश्चित करें कि उपखनिजों का प्रयोग वैधानिक रूप से निर्गत प्रपत्र-11 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

(v) अवैध खनन को रोकने तथा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु उठाये गये कदम की गहन समीक्षा।

वन विभाग:-

(i) विभाग द्वारा निर्धारित मासिक तथा क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति तथा प्रतिशत की समीक्षा। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) प्रत्यर्पण जुर्मानें और जब्तियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशियों ।

(iii) पौधों तथा वृक्षों के छपान, बिक्री से प्राप्त होने वाली आय तथा अन्य प्राप्तियों की समीक्षा।

(iv) विभाग द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्य तथा करापवंचन को रोकने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा।

श्रम विभाग:-

(i) विभाग द्वारा निर्धारित मासिक तथा क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति तथा प्रतिशत की समीक्षा। प्रत्येक बैठक में विभागीय अधिकारी, जो लक्ष्य के विपरीत कम प्राप्ति का कारण बताते हैं, उसे रिकार्ड किया जाय।

(ii) साधारण मूल आवास किराया, श्रम विभाग की इमारतों का किराया तथा श्रम विभाग की औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत क्वाटरों के किराये की समीक्षा।

(iii) श्रम निधि से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा।

(iv) फैक्टी अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क (पंजीयन और नवीनीकरण) फीस, ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम), मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियिम, 1961 के अधीन फीस, उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अधीन निबन्धन फीस तथा उ0प्र0 भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 के अन्तर्गत रजिस्टीकरण की फीस की प्राप्तियों की समीक्षा।

(v) करापवंचन को रोकने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा ।

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त जिलाधिकारी अपने स्तर से अन्य कर तथा करेत्तर विभागों/ मदों की समीक्षा भी करेंगे, जिससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो सके ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांकःआर0जी0– 602 / 106(08) / 15–दस–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी(नाम से),
जनपद.....,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त संसाधन(सामान्य)अनुभाग लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2015

विषयः जनपद के कर–करेत्तर राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियों / समग्र उपलब्धि की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया मेरे पत्र संख्या–आर0जी0–471 / 106(08) / 15–दस–2015 दिनांक 22 जून, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सम्बन्धित कर / करेत्तर राजस्व विभागों की check-list के अनुसार प्रत्येक माह राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की मदवार समीक्षा अपने स्तर से करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था ।

2. उक्त के क्रम में कर एवं करेत्तर संग्रहण सम्बन्धी उपलब्धियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु प्रारूप–। एवं ॥ पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं । प्रारूप–। में कर एवं करेत्तर राजस्व मदों के मासिक एवं क्रमिक लक्ष्यों के सापेक्ष माहवार प्राप्ति की सूचना उपलब्ध कराई जाय । प्रारूप–॥ के अनुसार पॉच मुख्य करों की प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत वाणिज्य–कर, आबकारी, स्टाम्प तथा निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन–कर की प्रगति की समीक्षा हेतु उन्हें क्रमशः 55%, 20%, 16%, 6%, 3% भार दिये गये हैं । प्रत्येक माह की वास्तविक प्राप्ति को निर्धारित किये गये भार से गुणा कर जिले की समग्र उपलब्धि आंकलित की जायेगी । पॉच करों की समग्र प्राप्ति के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग की जायेगी । करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत अलौह खनन का प्राप्ति प्रतिशत आंकलित किया जायेगा । सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप–॥ का एक उदाहरण भी संलग्न किया गया है ।

3. जनपद की राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूपों–। एवं ॥ पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को हार्ड एवं साफ्ट कापी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साफ्ट कापी finance.dfpr-up@gov.in पर भेजी जाय ।

उक्त सूचना के आधार पर प्रत्येक माह सभी जनपदों की ग्रेडिंग की जायेगी तथा समस्त संकलित सूचना मा0 मुख्यमंत्री जी को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग द्वारा संकलित की गई सूचना सभी जिलाधिकारियों को प्रसारित की जायेगी ।

4. सभी जनपदों की वित्तीय वर्ष 2015–16 की छमाही (सितम्बर, 2015/मार्च 2016) प्राप्तियों के आधार पर उत्कृष्ट उपलब्धि वाले प्रथम पॉच जनपदों को चिन्हित कर पुरस्कृत किया जायेगा । प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति–पत्र तथा धनराशि क्रमशः रूपये 5 लाख, रूपये 4 लाख, रूपये 3 लाख, रूपये 2 लाख एवं रूपये 1 लाख को जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखा जाएगा । पुरस्कृत जिले के जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार कर राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित पाँच विभागों के अधिकारियों को उनके योगदान एवं उपलब्धि के आधार पर पुरस्कार की धनराशि का वितरण करेंगे तथा एक बार में प्रति अधिकारी, पुरस्कार की धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 25,000 होगी । यहॉ यह भी अवगत कराया जाना समीचीन होगा कि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति आपके वार्षिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिन्दु होगा ।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार समस्त सूचनाएँ निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाय ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय,

9.2.17

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,

प्रारूप– I

जनपद का नाम : .....

माह : .....

मासिक/क्रमिक लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का विवरण

क्र0 सं0	राज्य करों के नाम	मासिक लक्ष्य	मासिक प्राप्ति	मासिक प्राप्ति प्रतिशत	क्रमिक लक्ष्य	क्रमिक प्राप्ति	क्रमिक प्राप्ति प्रतिशत
0	1	2	3	4	5	6	7
अ	कर राजस्व						
1	वाणिज्य कर						
2	राज्य आबकारी शुल्क						
3	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क						
4	परिवहन						
5	मनोरंजन कर						
ब	करेत्तर राजस्व						
1	अलौह खनन						

प्रारूप – II

जनपद का नाम : ..... माह : .....

भाग–1 : प्रमुख कर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत जिले की समग्र उपलब्धि

क्र0सं0	राज्य करों के नाम	प्रतिशत भार	मासिक लक्ष्य (रू0 करोड़ में)	मासिक प्राप्ति (रू0 करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (का0–5 / का0–4)	समग्र उपलब्धि [(का0–3 / 100) X का0–6)]
1	2	3	4	5	6	7
	कर राजस्व					
1	वाणिज्य कर	55.0%				
2	राज्य आबकारी शुल्क	20.0%				
3	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	16.0%				
4	परिवहन	6.0%				
5	मनोरंजन कर	3.0%				
	योग :	**100.0%**				

भाग–2 : प्रमुख करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत जिले का प्राप्ति प्रतिशत

क्र0सं0	राज्य करों के नाम	मासिक लक्ष्य	मासिक प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5
	करेत्तर राजस्व			
1	अलौह खनन			

संलग्न उदाहरण

यदि किसी जिले "क" के **कर राजस्व** में वाणिज्य कर विभाग के माह अप्रैल का लक्ष्य रू0 500 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 490 करोड़, आबकारी का लक्ष्य रू0 300 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 275 करोड़, स्टाम्प का लक्ष्य रू0 600 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 580 करोड़, परिवहन का लक्ष्य रू0 300 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 280 करोड़, मनोरंजन कर का लक्ष्य रू0 50 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 45 करोड़ एवं **करेत्तर राजस्व** में अलौह खनन का लक्ष्य रू0 500 करोड़ तथा प्राप्ति रू0 475 करोड़ है तो जिले के कर राजस्व की समग्र उपलब्धि एवं करेत्तर राजस्व का प्राप्ति प्रतिशत प्रारूप–II पर निम्नानुसार आंगणित की जायेगी :–

प्रारूप – II

जनपद का नाम : "क"

माह : अप्रैल

भाग–1 : प्रमुख कर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत जिले की समग्र उपलब्धि

क्र0सं0	राज्य करों के नाम	प्रतिशत भार	मासिक लक्ष्य (रू0 करोड़ में)	मासिक प्राप्ति (रू0 करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (का0–5 / का0–4)	समग्र उपलब्धि [(का0–3 / 100) X का0–6)]
1	2	3	4	5	6	7
	कर राजस्व					
1	वाणिज्य कर	55.0%	500.00	490.00	98.0%	53.9%
2	राज्य आबकारी शुल्क	20.0%	300.00	275.00	91.7%	18.3%
3	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	16.0%	600.00	580.00	96.7%	15.5%
4	परिवहन	6.0%	300.00	280.00	93.3%	5.6%
5	मनोरंजन कर	3.0%	50.00	45.00	90.0%	2.7%
	योग :	**100.0%**				**96.0%**

अतः जिला "क" की समग्र उपलब्धि 96.0 प्रतिशत आगणित होती है ।

भाग–2 : प्रमुख करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत जिले का प्राप्ति प्रतिशत

क्र0सं0	राज्य करों के नाम	मासिक लक्ष्य	मासिक प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5
	करेत्तर राजस्व			
1	अलौह खनन	500.00	475.00	95.0%

नोट : अलौह खनन के सम्बन्ध में जिला "क" द्वारा उक्तानुसार मात्र प्राप्ति प्रतिशत आगणित किया जायेगा ।